"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 जून 2011—आषाढ़ 8, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/47/2010/वाक/पांच (37).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10/47/2010/वाक/पांच (64) दिनांक 08-10-2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम (3) में शब्द एवं अंक "4 प्रतिशत" के स्थान पर शब्द एवं अंक "5 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2011

क्रमांक एफ-10/47/2010/वाक/पांच (37).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/47/2010/वाक/पांच (37), दिनांक 29-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 29th June 2011

NOTIFICATION

No. F-10/47/2010/CT/V(37).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F-10/47/2010/CT/V(64) dated 08-10-2010 :—

AMENDMENT

In column (3) of the Schedule in said notification the word and figure "4 percent" the word and figure "5 percent" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.